राज्य विशेष शाखा, राजस्थान, जयपुर।

[illegible]

[illegible] 18.6.2013

[illegible]
[illegible]
[illegible] 2 [illegible]
[illegible] नई दिल्ली।

R-4587/RTI(I)/13
3/7

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने।
प्रसंग :- श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 4337–4497 दिनांक 03.09.2012 क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम मे निवेदन है कि आवेदक श्री सुधीर व्यास, एन0जी0 मैट्रिक्स, आर0टी0आई0 कार्यकर्ता 196, व्यास निवास, [illegible] मौहल्ला, जोधपुर राजस्थान के [illegible] आवेदन पत्र दिनांक 12.6.2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना का संबंध आपके कार्यालय से होने के कारण आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत [illegible] कर अनुरोध है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना जो आपके कार्यालय में उपलब्ध है, नियमानुसार सीधे ही आवेदक को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को अवगत करवाने का श्रम करावे।

यदि सूचना का संबंध आपकी शाखा से ना होकर अन्य शाखा/कार्यालय से होना प्रतीत होता हो तो उस शाखा/कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरण करावें।

[illegible]

भवदीय,

18.6.13
(राजेश निर्वाण)
महानिरीक्षक पुलिस (इन्टै0)
राजस्थान, जयपुर
एवम् लोक सूचना अधिकारी

3/7 VT/KS Vils 5/7 FB-Pt.5

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पुलिस अधीक्षक, इन्टै0, जोन जोधपुर एवं विदेशी पंजीयन अधिकारी, जोधपुर शहर के पत्र संख्या 2394–95 दिनांक 5.6.2013 एवं 2389–90 दिनांक 4.6.2013 के क्रम में।
2. अपर जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के पत्र संख्या 1550–31.05.13 एवं 763/773 दिनांक 27.5.13 के क्रम में।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, जयपुर को श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 4337–4497 दिनांक 03.09.2012 क्रम में।
4. श्री सुधीर व्यास, एन0जी0 मैट्रिक्स, आर0टी0आई0 कार्यकर्ता 196, व्यास निवास, [illegible] मौहल्ला, जोधपुर राजस्थान को प्रेषित कर लेख है, कि भविष्य पत्राचार/सम्पर्क उक्त लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से करने का श्रम करें।

18.6.13
महानिरीक्षक पुलिस (इन्टै0)
राजस्थान, जयपुर
एवम् लोक सूचना अधिकारी

318/US(RTI)/13
05/07

3 [illegible] 05/7/2013
84 P

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक : न्याय / लो.सू.अ. / 2013 / 1580 दिनांक: 31 .05.2013

प्रेषितः–

पुलिस, अधीक्षक,
सी.आई.डी.जोन,
जोधपुर।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।
(प्रार्थी श्री सुधीर व्यास का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2012)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थी श्री सुधीर व्यास ,निवासी 196, रूपनिवास, जालप मौहल्ला, जोधपुर से प्राप्त प्रार्थना पत्र संलग्न प्रेषित है।

अतः प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रार्थी को शीघ्र उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जोधपुर
पुलिस अधीक्षक
- 3 JUN 2013
Forward PPF
6748

भवदीय

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
जोधपुर

क्रमांक : सम . / 2013 / दिनांक: .05.2013

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर–प्रथम, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
जोधपुर

US
04/06/13

2/C-765/12

18-12-2012

Sudhir Vyas M.D. Medicine
RTI Activist, 190 Roop Niwas
Jalap Mohalla – Jodhpur 342001

प्रतिष्ठा में ;

लोक सूचना अधिकारी

जिलाधीश कार्यालय

जिला जोधपुर, राजस्थान

RTI
18-12

21818
19/12/12

<u>विषय</u> :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने बाबत

मान्यवर महोदय

विषयान्तर्गत निवेदन है कि निम्नलिखित सूचना व संबंधता रखते दस्तावेज उपलब्ध करावें

1) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष में अबतक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक आये , वीजा प्रकार को उल्लेखित करते हुऐ सूचना उपलब्ध करावें ।

2) <u>उपरोक्त बिंदु संख्या (1) में वर्णित पाकिस्तानी नागरिकों में से कितने नागरिकों ने वीजा बदलाने हेतु एवं वापिस पाकिस्तान नहीं जाने और यहां व भारत में ही रह जाने देने हेतु आवेदन किया और उनमें से कितने धार्मिक वीजाओं पर ही थे ।</u>

3) स्थायी वास प्राप्त करने हेतु [illegible] स्थायी आवास रह [illegible] कराने [illegible] व्यवस्था है

4) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष में अबतक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा किये गये स्थायी वास आवेदनों तथा भारतीय नागरिकता हेतु आवेदनों को आप के कार्यालय द्वारा मंजूर कर आगे अनुशंसा हेतु भेजा गया.

5) यदि बदले हुऐ वीजाओं और स्थायी वास स्तर प्राप्त होने के दौरान व पश्चात यदि <u>कोई विदेशी अथवा पाकिस्तानी नागरिक वीजा नियमों , भारतीय संवैधानिक कानूनों का एवं अन्य विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाऐ व आरोप सिद्ध भी हो तो , ऐसे विदेशी या पाकिस्तानी नागरिकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु क्या क्या भारतीय कानूनानुसार प्रावधान है ?</u>

सूचना प्राप्त करने के शुल्क के रूप में **10/-** रुपये (5/- + 5/-रू)के 2 पोस्टल ऑर्डर संख्या 54C760303 एवं 54C760304 इस आवेदन के साथ संलग्न है।<u>कृपया आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करावें</u>

विनीत

Sudhir Vyas 15.12.12

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी, अपर जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक–सू.अ./ [illegible] 763/ 773 दिनांक 27/5/2013

प्रेषित:–

लोक सूचना अधिकारी
पुलिस अधीक्षक
सी. आई. डी. जोन, जोधपुर

कार्यालय पुलिस [illegible]
पुलिस अधीक्षक
अनु.क्र. 2 | स.क्र. 4
28 MAY 2013
अनुभाग Force / 8861
सामान्य क्र. 6458 दिनांक

विषय :– सूचना के अधिकार के तहत अन्य विभागो से संबंधित आवेदन को भेजने बाबत।

महोदय,

प्रार्थी श्री सुधीर व्यास द्वारा सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पोस्टल आर्डर राशि 10/ सहित / बिना किसी राशि के दिनांक .... को प्रस्तुत किया है।

वांछित सूचना पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. जोन जोधपुर से संबंधित है जिसके लोक सूचना अधिकारी आप है।

अतः परीक्षण कर वांछित सूचना प्रार्थी को अविलम्ब उपलब्ध करावे अथवा यदि अधिनियम में प्रतिलिपि / सूचना देय नहीं है तो भी लिखित कारणों से अवगत करावे।

ध्यान रहे कि सूचना के अधिकार अधिनियम में देय सूचना समय पर देने की बाध्यता है। अतः सूचना निर्धारित समय से पूर्व उपलब्ध कराई जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (5)

जिला कलक्टर न्यायालय जोधपुर के निर्णय की प्रति भेजकर लेख है प्रार्थी को वांछित सूचना शीघ्र उपलब्ध करावें।

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
अपर जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक–सम/2013/ सू.अ. 763/ दिनांक / /2013

प्रतिलिपी प्रार्थी श्री सुधीर व्यास निवासी 196 रूप निवास जालप मोहल्ला जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कर लेख है कि इस संबंध में भविष्य में उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी से ही सम्पर्क करावें।

लोक सूचना अधिकारी
अपर जिला कलक्टर, जोधपुर

F:\CRADM2010_Backup\June 2013.docx

Sudhir Vyas
RTI Activist, 196, Bhoop Niwas
Jalap Mohalla – Jodhpur 342001

15-12-2012

प्रतिष्ठा में ;

लोक सूचना अधिकारी

जिलाधीश कार्यालय

जिला जोधपुर, राजस्थान

<u>विषय</u> :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने बाबत

मान्यवर महोदय

विषयान्तर्गत निवेदन है कि निम्नलिखित सूचना व संबंधता रखते दस्तावेज उपलब्ध करावें

1) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष में अबतक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक आये, वीजा प्रकार को उल्लेखित करते हुये सूचना उपलब्ध करावें ।

2) उपरोक्त बिंदु संख्या (1) में वर्णित पाकिस्तानी नागरिकों में से कितने नागरिकों ने वीजा बढ़वाने हेतु एवं वापिस पाकिस्तान नहीं जाने और यहां व भारत में ही रह जाने देने हेतु आवेदन किया और उनमें से कितने धार्मिक वीजाओं पर ही थे ।

3) स्थायी वास प्राप्त करने हेतु पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा क्या कारण बताये जाते रहे हैं और उन कारणों की प्रमाणिकता व सत्यता जांचने हेतु कोई ठोस व्यवस्था है ?

4) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष में अबतक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा किये गये स्थायी वास आवेदनों तथा भारतीय नागरिकता हेतु आवेदनों को आप के कार्यालय द्वारा मंजूर कर आगे अनुशंसा हेतु भेजा गया.

5) यदि बढ़े हुये वीजाओं और स्थायी वास स्तर प्राप्त होने के दौरान व पश्चात यदि कोई विदेशी अथवा पाकिस्तानी नागरिक वीजा नियमों, भारतीय संवैधानिक कानूनों का एवं अन्य विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाये व आरोप सिद्ध भी हो तो, ऐसे विदेशी या पाकिस्तानी नागरिकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु क्या क्या भारतीय कानूनानुसार प्रावधान है ?

सूचना प्राप्त करने के शुल्क के रूप में **10/-** रूपये (5/- + 5/-रू)के 2 पोस्टल ऑर्डर संख्या 54C760303 एवं 54C760304 इस आवेदन के साथ संलग्न है।कृपया आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करावें

विनीत

Sudhir Vyas 15.12.12

RTI Activist, 106 ... ... - 342001 (राज.)

Dated: 30.01.2013

प्रति,

प्रथम अपीलीय अधिकारी
जिलाधीश कार्यालय
जोधपुर — राजस्थान

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की जाकर निवेदन है कि :-

1. मुझ प्रार्थी ने एक सशुल्क आवेदन दिनांक 17.12.2012 को लोक सूचना अधिकारी जिलाधीश कार्यालय के संबोधन में दिया जा कर सूचना / जानकारी और उससे संबंधित आदेशों व नियमों की जानकारी प्रमाणित प्रतियों के रूप में चाही हैं और चाही गयी सूचना से संबंधता रखते आवेदन प्रपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। (प्रति संख्या 1)

2. संबंधित अधिकारियों ने निर्धारित 30 दिवस के भीतर कोई सूचनाएँ उपलब्ध नहीं कराई हैं और एक तरह से इंकार ही कर दिया है !चाही गई सूचना अनेकानेक गंभीर तथा वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित होने कारण निर्धारित अधिकतम 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिये थी !(उत्तर प्रति संलग्न 2)

3. परंतु अधिकतम 30 दिवस के भीतर भी सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं !

4. इसप्रकार येनकेन प्रकारेण मेरे आवेदन को नजरअंदाज किया जाकर मुझे सूचनाओं से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है और बेवजह परेशान किया जा रहा है। और सूचनाऐं उपलब्ध कराने में संबंधित अधिकारीगण जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं!

5. इस प्रकार मुझ प्रार्थी द्वारा माना गया है कि स्पष्टतया संबंधित अधिकारीगणों ने और लोक सूचना अधिकारी ने धारा 7 (2) के तहत सूचना देने से इंकार कर दिया है !

6. ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके विद्वान अधिकारीगण और लोक सूचना अधिकारी जानबूझकर सूचनाऐ उपलब्ध नहीं करा कर प्रार्थी को परेशान करने की मंशा रखते हैं।**जबकि विशेषकर पाकिस्तानी नागरिकों के स्थायी वास अनुमति सहित सभी प्रकार के निर्णय व अनुशंसाऐं जिला व प्राथमिक स्तर पर जिलाधीश व जिलाधीश कार्यालय द्वारा ही स्वीकृत, अनुमोदित ,प्रेषित एवं पूर्ण की जाती रही हैं तथा की जाती है।**

→ (2)

७- मांगी गई सूचना व दस्तावेजो से कई गंभीर अनियमितताऐं सामने आयेगी इसीलिये ये जानबूझकर मुझे सूचना देने से वंचित करना चाहते है।

८- अत: प्रथम अपील प्रस्तुत कर प्रार्थी यह निवेदन करना चाहता है कि चाही गई सूचनाऐ व दस्तावेज अविलंब एवं नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय प्रदान करावें।
मेरा आवेदन प्रकरण आपके कार्यालय में क्रमांक :- सू.अ./प्र.स./13/12 पर दर्ज है। साथ ही जानबूझकर सूचना उपलब्ध नही कराने हेतु दोषियों के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य सचिव परिपत्र क्रमांक एफ 3(1) एसी एस/एए/आरटीआई/10 दिनांक 29.04.2011 की अनुपालना में आवश्यक कार्यवाही करें।

भवदीय

Dated: 20.07.2013

Sudhir Vyas

→ (3)

01.04.13

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट सुधीर व्यास निवासी 190, रूप निवास जालप मोहल्ला, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.12.12 मे उसके द्वारा (1) वर्ष 2011 तथा 2012 के चाल वर्ष में अब तक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक आये, वीजा प्रकार को उल्लेखित करते हुए सूचना (2) बिन्दु संख्या 1 में वर्णित पाकिस्तानी नागरिकों में से कितने नागरिकों ने वीजा बढ़वाने हेतु एवं वापिस पाकिस्तान नही जाने और यहां व भारत में ही रह जाने हेतु आवेदन किया और उनमें से कितने धार्मिक वीजाओं पर ही थे। (3) स्थाई वास प्राप्त करने हेतु पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा क्या कारण बताये जाते रहे है और उन कारणों की प्रमाणिकता व कारण जांचने हेतु कोई ठोस व्यवस्था है (4) वर्ष 2010, 2011 व 2012 के चालू वर्ष में आज तक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा किये गये स्थाई वास आवदनों तथा भारतीय नागरिकता हेतु आवदेनों को आपके कार्यालय द्वारा मंजूर कर आगे अनुशंषा हेतु भेजा गया। (5) यदि बढ़े हुए वीजाओं और स्थाईवास स्तर प्राप्त होने के दौरान व पश्चात् यदि कोई विदेशी अथवा पाकिस्तानी नागरिक वीजा नियमों, भारतीय संवैधानिक कानूनों का एवं अन्य विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जावे व आरोप सिद्ध भी हो तो, ऐसे विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु क्या-क्या भारतीय कानूनानुसार प्रावधान है, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नही दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर) ने तथ्यात्मक रिपोर्ट में बताया गया कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण उनके प्रभारी अधिकारी को जरिये पत्रांक 1974 दिनांक 21.12.12 भेजा गया। न्यायिक शाखा से एक पृष्ठीय सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी को जरिये पत्रांक 13 दिनांक 03.01.13 द्वारा भिजवाई गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) द्वारा प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र में वर्णित सूचना देने के लिए प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित किया। प्रार्थी ने जो बिन्दुवार सूचना मांगी गई उससे संबंधित सूचना प्रार्थी को नहीं दी जाकर न्यायिक शाखा से अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. जोन जोधपुर

लगातार....

होने से सूचना संबंधित विभाग से प्राप्त करने को कहा गया। सूचना का अधिकार अधिनियम/नियम के तहत दस्तावेज की प्रतियां निश्चित अवधि में देने का शुल्क निर्धारित किया गया है फिर भी प्रार्थी को दस्तावेज की प्रतियां देने में क्या कठिनाई हुई, कोई कारण नहीं बताया गया। इसी प्रकार इन बिन्दुओं की सूचना पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, जोधपुर से संबंधित होने को कहा, परन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना–पत्र संबंधित विभाग के स्थानान्तरण करना चाहिए या वहां से सूचना मंगवाकर देनी चाहिए, प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नही किया गया। इससे जाहिर होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा गंभीरता से नही की गई, जो खेदजनक है। अतः इनको हिदायत दी जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्रों पर अधिनियमों के प्रावधानों की अक्षरतः पालना करते हुए निस्तारित किये जावे।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित दस्तावेज जो इस कार्यालय से संबंधित है, की प्रतियां उक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 15 दिवस में दिये जावे तथा जो सूचना सी.आई.डी. जोन जोधपुर से संबंधित है, प्रार्थना–पत्र तुरन्त स्थानान्तरण करें या वहां से सूचना प्राप्त कर दी जाय। लोक सूचना अधिकारी को यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें। पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन जोधपुर से भी अपेक्षा की जाती है कि प्रार्थना–पत्र वर्णित सूचना जो आपके कार्यालय से संबंधित है, प्रार्थी को 15 दिवस में विधिक प्रावधानों के तहत सूचना दी जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

गौरव गोयल
जिला [illegible]

न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर
क्रमांक/कोर्ट/ 180 दिनांक 22.05.13
प्रतिलिपि मय संबंधित अभिलेख सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु — S. P. (Admn.) जोधपुर
को प्रेषित है।

आज्ञा से
रीडर
कलक्टर, जोधपुर

(9)

राज्य विशेष शाखा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- प. 15(97)महा0नि0पु0 / विशा0 / लो0सू0 / 2013 / 330-34

जयपुर, दिनांक :- 18.6.2013

निदेशक (विदेशी) एवं सी0पी0आई0ओ0,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
एन0डी0सी0सी0 2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली।

R-4851/For(F1)/13
3/7

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने।
प्रसंग :- श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 4337—4497 दिनांक 03.09.2012 क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आवेदक श्री सुधीर व्यास, एम0डी0 मेडिसन, आर0टी0आई0 कार्यकर्ता 196, रूप निवास, जालप मौहल्ला, जोधपुर राजस्थान के पृथक-पृथक आवेदन पत्र दिनांक 12.6.2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना का संबंध आपके कार्यालय से होने के कारण आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरण कर अनुरोध है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना जो आपके कार्यालय में उपलब्ध है, नियमानुसार सीधे ही आवेदक को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को अवगत करवाने का श्रम करावे।

यदि सूचना का संबंध आपकी शाखा से ना होकर अन्य शाखा / कार्यालय से होना प्रतीत होता हो तो उस शाखा / कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरण करावे।

संलग्न :- मूल आवेदन पत्र।

भवदीय,

18.6.13

(राजेश निर्वाण)
महानिरीक्षक पुलिस (इन्टै0)
राजस्थान, जयपुर
एवम् लोक सूचना अधिकारी

3/7 VL/PS 5/7 FB- Pt. 5

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पुलिस अधीक्षक, इन्टै0, जोन जोधपुर एवं विदेशी पंजीयन अधिकारी, जोधपुर शहर के पत्र संख्या 2394—95 दिनांक 5.6.2013 एवं 2389—90 दिनांक 4.6.2013 के क्रम में।
2. अपर जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के पत्र संख्या 1580—31.05.13 एवं 763 / 773 दिनांक 27.5.13 के क्रम में।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, जयपुर को श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 4337—4497 दिनांक 03.09.2012 क्रम में।
4. श्री सुधीर व्यास, एम0डी0 मेडिसन, आर0टी0आई0 कार्यकर्ता 196, रूप निवास, जालप मौहल्ला, जोधपुर राजस्थान को प्रेषित कर लेख है, कि भविष्य पत्राचार / सम्पर्क उक्त लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से करने का श्रम करे।

18.6.13

महानिरीक्षक पुलिस (इन्टै0)
राजस्थान, जयपुर
एवम् लोक सूचना अधिकारी

318/US(F)/13
05/07

05/7/2013
84 P

(8) (9/1)

राजस्थान--सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक : न्याय / लो.सू.अ. / 2013 / 1580 दिनांकः 31 .05.2013

प्रेषितः–

पुलिस अधीक्षक,
सी.आई.डी.जोन,
जोधपुर।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।
(प्रार्थी श्री सुधीर व्यास का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2012)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थी श्री सुधीर व्यास ,निवासी 196, रूपनिवास, जालप मौहल्ला, जोधपुर से प्राप्त प्रार्थना पत्र संलग्न प्रेषित है।

अतः प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रार्थी को शीघ्र उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अ.जा.
पुलिस अधीक्षक
- 3 JUN 2013
Force / PPF
6748

भवदीय

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
जोधपुर

क्रमांक : सम . / 2013 / दिनांकः .05.2013

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर–प्रथम, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
जोधपुर

US
04/06/13

R.T.I. -- JUD. C-S-.doc/ESTT.--G.P.

(2) (1/2)

आ. नि. 763/12

15.12.2012

Sudhir Vyas M.D. Medicine
RTI Activist, 196 Roop Niwas
Jalap Mohalla – Jodhpur 342001

प्रतिष्ठा में ;

लोक सूचना अधिकारी

जिलाधीश कार्यालय

जिला जोधपुर, राजस्थान

RTI 18.12

21818 19/12/12

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने बाबत

मान्यवर महोदय

विषयान्तर्गत निवेदन है कि निम्नलिखित सूचना व संबंधित स्वतः दस्तावेज उपलब्ध करावें

1) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष में अबतक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक आये, वीजा प्रकार को उल्लेखित करते हुये सूचना उपलब्ध करावें । 5

2) उपरोक्त बिंदु संख्या (1) में वर्णित पाकिस्तानी नागरिकों में से कितने नागरिकों ने वीजा बढवाने हेतु एवं वापिस पाकिस्तान नहीं जाने और यहां व भारत में ही रह जाने देने हेतु आवेदन किया और उनमें से कितने धार्मिक वीजाओं पर ही थे । 5

3) स्थायी वास प्राप्त करने हेतु पाकि[illegible] [illegible] है और इन कारणों की स्थानि[illegible] [illegible] जाते रह [illegible] व्यवस्था है ? 5

4) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष में अबतक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा किये गये स्थायी वास आवेदनों तथा भारतीय नागरिकता हेतु आवेदनों को आप के कार्यालय द्वारा मंजूर कर आगे अनुशंसा हेतु भेजा गया। 5

5) यदि बढे हुये वीजाओं और स्थायी वास स्तर प्राप्त होने के दौरान व पश्चात यदि कोई विदेशी अथवा पाकिस्तानी नागरिक वीजा नियमों, भारतीय संवैधानिक कानूनों का एवं अन्य विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाये व आरोप सिद्ध भी हों तो, ऐसे विदेशी या पाकिस्तानी नागरिकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु क्या क्या भारतीय कानूनानुसार प्रावधान हैं ? T

सूचना प्राप्त करने के शुल्क के रूप में **10/-** रूपये (5/- + 5/-रू)के 2 पोस्टल ऑर्डर सख्या 54C760303 एवं 54C760304 इस आवेदन के साथ संलग्न है।कृपया आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करावें

विनीत

Sudhir Vyas 15.12.12

(1) 3/1

राजस्थान सरकार

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी अपर जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक—लोसूअ / 2013 / प्रा. अ. 763/773
प्रेषित:—

दिनांक 27/5/2013

लोक सूचना अधिकारी
पुलिस अधीक्षक
सी. आई. डी. जोन, जोधपुर

कार्यालय पुलिस अधीक्षक ... जोधपुर
पुलिस अधीक्षक
अ.पु.अ. ... व.पु.अ. ...
29 MAY 2013
अनुभाग Force 886
सामान्य क्र. 6486 दिनांक

विषय :— सूचना के अधिकार के तहत अन्य विभागों से संबंधित आवेदन को संबंधित को भेजने बाबत।

महोदय,

प्रार्थी श्री सुधीर व्यास द्वारा सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पोस्टल आर्डर राशि 10/ सहित / बिना किसी राशि के दिनांक ... — ... को प्रस्तुत किया है।

वांछित सूचना पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. जोन जोधपुर से संबंधित है जिसके लोक सूचना अधिकारी आप हैं।

अतः परीक्षण कर वांछित सूचना प्रार्थी को अविलम्ब उपलब्ध करावें अथवा यदि अधिनियम में प्रतिलिपि / सूचना देय नहीं है तो भी विधिक कारणों से अवगत करावें।

ध्यान रहे कि सूचना का अधिकार अधिनियम में देय सूचना समय पर देने की बाध्यता है। अतः सूचना निर्धारित समय से पूर्व उपलब्ध कराई जावे।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार (5)

जिला कलक्टर न्यायालय जोधपुर के निर्णय की प्रति भेजकर लेख है प्रार्थी को वांछित सूचना शीघ्र उपलब्ध करावें।

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
अपर जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक—राग / 2013 / प्रा. अ. 763/

दिनांक / / 2013

प्रतिलिपि प्रार्थी श्री सुधीर व्यास निवासी 196 रूप निवास जालप मोहल्ला जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कर लेख है कि इस संबंध में भविष्य में उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी से ही सम्पर्क करावें।

लोक सूचना अधिकारी
अपर जिला कलक्टर, जोधपुर

D:\CBADM2010_Backup\June 2011.docx

91 A. 768/12

15.12.2012

Sudhir Vyas M.D. Medicine
RTI Activist, 196, Roop Niwas
Jatap Mohalla - Jodhpur 342001

प्रतिष्ठा में ;

लोक सूचना अधिकारी

जिलाधीश कार्यालय

जिला जोधपुर. राजस्थान

RTI
22/12
18.12

21818
19/12/12

<u>विषय</u> :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने बाबत
मान्यवर महोदय

विषयान्तर्गत निवेदन है कि निम्नलिखित सूचना व संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावें

1) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष में अबतक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक आये, वीजा प्रकार को उल्लेखित करते हुये सूचना उपलब्ध करावें ।

2) <u>उपरोक्त बिंदु संख्या (1) में वर्णित पाकिस्तानी नागरिकों में से कितने नागरिकों ने वीजा बढवाने हेतु एवं वापिस पाकिस्तान नहीं जाने और यहां व भारत में ही रह जाने देने हेतु आवेदन किया और उनमें से कितने धार्मिक वीजाओं पर ही थे ।</u>

3) स्थायी वास प्राप्त करने हेतु पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा क्या कारण बताये जाते रहे हैं और उन कारणों की प्रमाणिकता व सत्यता जांचने हेतु कोई ठोस व्यवस्था है ?

4) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष में अबतक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा किये गये स्थायी वास आवेदनों तथा भारतीय नागरिकता हेतु आवेदनों को आप के कार्यालय द्वारा मंजूर कर आगे अनुशंसा हेतु भेजा गया.

5) यदि बढ़े हुऐ वीजाओं और स्थायी वास स्तर प्राप्त होने के दौरान व पश्चात यदि <u>कोई विदेशी अथवा पाकिस्तानी नागरिक वीजा नियमों, भारतीय संवैधानिक कानूनों का एवं अन्य विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जावे व आरोप सिद्ध भी हों तो, ऐसे विदेशी या पाकिस्तानी नागरिकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु क्या क्या भारतीय कानूनानुसार प्रावधान हैं ?</u>

सूचना प्राप्त करने के शुल्क के रूप में **10/-** रूपये (5/- + 5/-रु)के 2 पोस्टल ऑर्डर संख्या 54C760303 एवं 54C760304 इस आवेदन के साथ संलग्न है।कृपया आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध करावें

विनीत

Sudhir Vyas 15.12.12

1 to 4

RTI Activist, 106 रूप निवास
आलम मोहल्ला, जोधपुर - 342001 (Raj)

Dated: 20.01.2013

To,

प्रथम अपीलीय अधिकारी

जिलाधीश कार्यालय

जोधपुर – राजस्थान

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की जाकर निवेदन है कि :-

1- मुझ प्रार्थी ने एक सशुल्क आवेदन दिनांक 17.12.2012 को लोक सूचना अधिकारी जिलाधीश कार्यालय के संबोधन में दिया जा कर सूचना / जानकारी और उससे संबंधित आदेशों व नियमों की जानकारी प्रमाणित प्रतियों के रूप में चाही हैं और चाही गयी सूचना से संबधता रखते आवेदन प्रपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। (प्रति संख्या 1)

2- संबंधित अधिकारियों ने निर्धारित 30 दिवस के भीतर कोई सूचनाएँ उपलब्ध नहीं कराई है और एक तरह से इंकार ही कर दिया है। चाही गई सूचना अनेकानेक गंभीर तथा वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित होने कारण निर्धारित अधिकतम 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिये थी।(उत्तर प्रति संलग्न 2)

3- परंतु अधिकतम 30 दिवस के भीतर भी सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

4- इसप्रकार येनकेन प्रकारेण मेरे आवेदन को नजरअंदाज किया जाकर मुझे सूचनाओं से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है और बेवजह परेशान किया जा रहा है। और सूचनाऐं उपलब्ध कराने में संबंधित अधिकारीगण जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

5- इस प्रकार मुझ प्रार्थी द्वारा माना गया है कि स्पष्टतया संबंधित अधिकारीगणों ने और लोक सूचना अधिकारी ने धारा 7 (2) के तहत सूचना देने से इंकार कर दिया है।

6- ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके विद्वान अधिकारीगण और लोक सूचना अधिकारी जानबूझकर सूचनाऐं उपलब्ध नहीं करा कर प्रार्थी को परेशान करने की मंशा रखते हैं। **जबकि विशेषकर पाकिस्तानी नागरिकों के स्थायी वास अनुमति सहित सभी प्रकार के निर्णय व अनुशंसाऐं जिला व प्राथमिक स्तर पर जिलाधीश व जिलाधीश कार्यालय द्वारा ही स्वीकृत, अनुमोदित, प्रेषित एवं पूर्ण की जाती रही हैं तथा की जाती है।**

→ (2)

3 2/4

7- मांगी गईसूचना व दस्तावेजो से कई गंभीर अनियमितताऐं सामने आयेंगी इसीलिये वे जानबूझकर मुझे सूचना देने से वंचित करना चाहते हैं।

8- अतः प्रथम अपील प्रस्तुत कर प्रार्थी यह निवेदन करना चाहता है कि चाही गई सूचनाऐ व दस्तावेज अविलंब एवं नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय प्रदान करायें . मेरा आवेदन प्रकरण आपके कार्यालय में क्रमांक :- सू.अ./प्रा.स./13/12 पर दर्ज है।साथ ही जानबूझकर सूचना उपलब्ध नही कराने हेतु दोषियों के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य सचिव परिपत्र क्रमांक एफ 3(1) एसी एस/एए/आरटीआई/10 दिनांक 29.04.2011 की अनुपालना में आवश्यक कार्यवाही करें।

भवदीय

Dated: 20 . 07 . 2013

Sudhir Vyas

→ (3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुधीर व्यास बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 27 / 13	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.13	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट सुधीर व्यास निवासी 196, रूप निवास जालप मोहल्ला, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक .17.12.12 में उसके द्वारा (1) वर्ष 2011 तथा 2012 के चाल वर्ष में अब तक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक आये, वीजा प्रकार को उल्लेखित करते हुए सूचना (2) बिन्दु संख्या 1 में वर्णित पाकिस्तानी नागरिकों में से कितने नागरिकों ने बीजा बढ़वाने हेतु एवं वापिस पाकिस्तान नहीं जाने और यहां व भारत में ही रह जाने हेतु आवेदन किया और उनमें से कितने धार्मिक बीजाओं पर ही थे। (3) स्थाई वास प्राप्त करने हेतु पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा क्या कारण बताये जाते रहे है और उन कारणों की प्रमाणिकता व कारण जांचने हेतु कोई ठोस व्यवस्था है (4) वर्ष 2010, 2011 व 2012 के चालू वर्ष में आज तक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा किये गये स्थाई वास आवदनों तथा भारतीय नागरिकता हेतु आवदेनों को आपके कार्यालय द्वारा मंजूर कर आगे अनुशंषा हेतु भेजा गया। (5) यदि बढ़े हुए वीजाओं और स्थाईवास स्तर प्राप्त होने के दौरान व पश्चात् यदि कोई विदेशी अथवा पाकिस्तानी नागरिक बीजा नियमों, भारतीय संवैधानिक कानूनों का एवं अन्य विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जावे व आरोप सिद्ध भी हो तो, ऐसे विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों के विरूद्ध कार्यवाहो हेतु क्या–क्या भारतीय कानूनानुसार प्रावधान है, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर) ने तथ्यात्मक रिपोर्ट में बताया गया कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण उनके प्रभारी अधिकारी को जरिये पत्रांक 1974 दिनांक 21.12.12 भेजा गया। न्यायिक शाखा से एक पृष्ठीय सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी को जरिये पत्रांक 13 दिनांक 03.01.13 द्वारा भिजवाई गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) द्वारा प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में वर्णित सूचना देने के लिए प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित किया। प्रार्थी ने जो बिन्दुवार सूचना मांगी गई उससे संबंधित सूचना प्रार्थी को नहीं दी जाकर न्यायिक शाखा से अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. जोन जोधपुर लगातार....	

होने से सूचना संबंधित विभाग से प्राप्त करने को कहा गया। सूचना का अधिकार अधिनियम/नियम के तहत दस्तावेज की प्रतियां नियत अवधि में देने का शुल्क निर्धारित किया गया है फिर भी प्रार्थी को दस्तावेज की प्रतियां देने में क्या कठिनाई हुई, कोई कारण नहीं बताया गया। इसी प्रकार जिन बिन्दुओं की सूचना पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, जोधपुर से संबंधित होने को कहा, परन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना–पत्र संबंधित विभाग के स्थानान्तरण करना चाहिए या वहां से सूचना मंगवाकर देनी चाहिए, प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। इससे जाहिर होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा गंभीरता से नहीं की गई, जो खेदजनक है। अतः इनको हिदायत दी जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्रों पर अधिनियमों के प्रावधानों की अक्षरतः पालना करते हुए निस्तारित किये जावे।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित दस्तावेज जो इस कार्यालय से संबंधित है, की प्रतियां उक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 15 दिवस में दिये जावे तथा जो सूचना सी.आई.डी. जोन जोधपुर से संबंधित है, प्रार्थना–पत्र तुरन्त स्थानान्तरण करें या वहां से सूचना प्राप्त कर दी जाय। लोक सूचना अधिकारी को यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें। पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन जोधपुर से भी अपेक्षा की जाती है कि प्रार्थना–पत्र वर्णित सूचना जो आपके कार्यालय से संबंधित है, प्रार्थी को 15 दिवस में विधिक प्रावधानों के तहत सूचना दी जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

गौरव गोयल
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर
क्रमांक/कोर्ट/ 1859 दिनांक 22.05.13
प्रतिलिपि मय सबमिल अभिलेख सहित
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु – S.P., C.I.D. (Amm. 1) जोधपुर
को प्रेषित हैं।

आज्ञा से

रीडर
कलक्टर, जोधपुर

RTI MATTER / BY SPEED POST

RTI/91/2012-F-I
Government of India
Ministry of Home Affairs
******

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, dated 25th July, 2013

26 JUL 2013

To
The Principal Secretary (Home),
Department of Home
Govt of Rajasthan

Subject : Information sought under the RTI Act, 2005.
*****

Sir,

I am directed to enclose herewith an RTI application dated 15-12-2012 from Shri Sudhir Vyas on the subject mentioned above received by the undersigned on 05-07-2013 on transfer from Sh. Rajesh Nirwan, DIG Police(Intelligence), Special Branch, Jaipur, Rajasthan vide their O.M. No.V-15(97)DIG/SPL/RTI/2013/330-334 dated 18-06-2013.

2. The information sought by Shri Sudhir Vyas on Point nos. 1 to 3 of the RTI application, is regarding the extension of visa/residential permits etc., of Pakistani national in Jodhpur District. Since the subject matter is closely connected with the functioning of the concerned State Government/FRRO/FROs, the RTI application is being transferred to the Home Department, Govt. of Rajasthan under Section 6 (3) (ii) of the RTI Act, 2005, with a request to furnish the requisite information on points 1 to 3 of the RTI application to the applicant directly within the prescribed time limit.

जारी किया
ISSUED
26 JUL 2013
/Intls..........
/R&I/MHA/NDCC-II

Encl : As above

Yours faithfully,

(Vikas Srivastava)
Under Secretary (Foreigners) and CPIO

Copy for information to

1. Shri Sudhir Vyas, M.D. Medicine, RTI Activist, 196 Roop Niwas, Jalap Mohalla, Jodhpur-342001

2. Shri Rajesh Nirwan, DIG Police (Intelligence) & CPIO, Special Branch, Jaipur, Rajasthan

(Vikas Srivastava)
Under Secretary (Foreigners) and CPIO

O/C

RTI MATTER / BY SPEED POST

RTI/91/2013-F-I
Government of India
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, dated 31th July, 2013

- 2 AUG 2013

जारी किया
ISSUED
- 2 AUG 2013

To
Sh. Sudhir Vyas,
M.D. Medicine,
RTI Activist,
196 Roop Niwas,
Jalap Mohalla,
Jodhpur-342001
Rajasthan

Subject: **Information sought under the RTI Act, 2005**

Sir,

Please refer to your application dated 15.12.2013 (received by the undersigned on 05.07.2013 on transfer from Sh. Rajesh Nirwan, DIG(Intelligence) & CPIO, Special Branch Rajasthan, Jaipur vide their O.M. No.V-15(97)DIG/Sp/RTI/2013/330-34 dated 18.06.2013), seeking information under the RTI Act, 2005.

2. With regard to the information sought by you in point no.4 of the RTI application, it may be stated that as per information available during the year 2011, proposals for grant of LTV to 105 Pakistani nationals living in the State of Rajasthan have approved by the Ministry of Home Affairs. During 2012, proposals for grant of LTV in respect of 142 Pakistani nationals living in the State of Rajasthan were approved by the Ministry of Home Affairs. With regard to grant of Indian Citizenship, during the year 2011-2012, 14 citizenship certificate were issued in respect of Pakistani nationals living in the State of Rajasthan. Decentralized data, district-wise, of cases of Pakistani nationals whose LTV proposals were approved by the Ministry of Home Affairs is not centrally maintained.

3. With regard to the information sought by you in point no 5 of the RTI application, it may be stated that necessary inquiries are conducted when a Pak national who is living in Indian on LTV is found to have violated any Indian laws. On completion of the inquiry and its consequent findings, the Pak national is either deported/repatriated as per provisions of section 3(2)(c) of the Foreigners Act,1946 or action is taken to book him/her under the relevant Acts. In all cases, where the Pakistani national is arrested and action is taken under the relevant Acts, he/she is deported /repatriated only after completion of the sentence/court proceedings.

4. In case you are not satisfied with the information furnished, you may file an appeal before the Appellate Authority i.e. Shri V. Vumlunmang, Joint Secretary (Foreigners), Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110011 within the prescribed time limit.

Yours faithfully,

(Vikas Srivastava)
Under Secretary (Foreigners) & CPIO